922(S)
07/02/17

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

प्रेषणशाखा
6.2.17
निर्गत करने से पहले परिशिष्ट अनुलग्नक प्राप्त कर लें।
6.2.17
3
6/2/17

विषय :— बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के नियंत्रणाधीन राज्य पथों पर अवस्थित विक्रमशीला सेतु पर दिनांक 12.11.2016 से 14.11.2016 की मध्य रात्रि तक एवं सभी पुलों पर दिनांक 26.11.2016 से 02.12.2016 की मध्य रात्रि तक पथकर संग्रह स्थगित रखने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा 500 एवं 1000 रु० की नोटबन्दी के फलस्वरूप छुट्टे एवं प्रचलित मुद्रा की कमी के कारण हो रही कठिनाईयो के मद्देनजर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न टॉल प्लाजाओं पर आमजनों को एवं टॉल संग्रहित करने में पट्टेदारों को हो रही कठिनाईयों तथा भागलपुर जिले के विक्रमशीला पुल के टॉल प्लाजा, पर उत्पन्न विधि व्यवस्था की स्थिति के आलोक में जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा की गई मांग को दृष्टिगत रखते हुए, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा स्थिति सामान्य होने तक, टॉल संग्रहित करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार एवं NHAI द्वारा नोटबंदी से उत्पन्न कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए देशभर के सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर कार्यरत टॉल प्लाजा पर टॉल संग्रहित करने का कार्य चरणों में एवं अद्यतन 2 दिसम्बर, 2016 तक स्थगित कर दिया गया। तद्आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय पत्रांक 9550 (एस), दिनांक 25.11.2016 द्वारा राज्य सरकार द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से 2 दिसम्बर, 2016 तक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा चलाये जा रहे सभी टॉल प्लाजाओं पर टॉल संग्रहण करने के कार्य को स्थगित करने एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी कराने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से निगम के नियंत्रणाधीन पुलों, जिनपर निगम द्वारा पथकर संग्रह कार्य किया जा रहा है, पर पथकर संग्रह का कार्य दिनांक 02.12.2016 तक स्थगित करने का विज्ञापन दिनांक 26.11.2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर बंद करा दिया गया।

2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने अपने पत्रांक 158 (प्र०)/सी०, दिनांक 11.11.2016 द्वारा जाम की समस्या से निजात के लिए दिनांक 30.11.2016 तक विक्रमशीला सेतु पर पथकर संग्रह बंद करने का अनुरोध निगम से किया था। जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के पत्रांक 4129, दिनांक 12.11.2016 द्वारा दिनांक 14.11.2016 की मध्य रात्रि तक पथकर संग्रह वसूली बंद रखने का निदेश पट्टेदार को दिया गया।

3. पथकर संग्रह कार्य बन्द करने से संबंधित पूलों की सूची परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

4. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्णय लिया जाता है कि :—

4.1 विक्रमशीला सेतु पर पथकर संग्रह स्थगित रखने के संबंध में दिनांक 12.11.2016 से 14.11.2016 की मध्य रात्रि तक बंद करने के निर्णय पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

4.2 निगम के नियंत्रणाधीन राज्य पथों पर अवस्थित पुल जिसकी सूची परिशिष्ट पर अंकित है पर निगम द्वारा पट्टेदार के माध्यम से पथकर वसूली की जा रही है, को दिनांक 26.11.2016 से दिनांक 02.12.2016 की मध्य रात्रि तक पथकर संग्रह स्थगित रखने का घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

4.3 पथकर संग्रह स्थगित रखने के फलस्वरूप संबंधित पथकर बंद रखने की अवधि के लिए समानुपातिक तौर पर पथकर संग्रह हेतु वार्षिक एकरारनामा की राशि में छूट अनुमान्य होगी की स्वीकृति दी जाती है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6.2.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 01/पु०नि०नि०–20–03/2015 922(S) पटना,दिनांक 07/02/17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना – 7 को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.2.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–01/पु०नि०नि०–20–03/2015 922(S) पटना,दिनांक 07/02/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.2.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 01/पु०नि०नि०–20–03/2015 922(S) पटना,दिनांक 07/02/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :– 01/पु०नि०नि०–20–03/2015 922(S) पटना,दिनांक 07/02/17

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—01/पु०नि०नि०—20—03/2015 922(S) पटना,दिनांक 07/02/17

प्रतिलिपिः—सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिलाधिकारी/सभी उपायुक्त, बिहार/सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग (सभी उपभाग)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (सभी उपभाग)/विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.2.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—01/पु०नि०नि०—20—03/2015 922(S) पटना,दिनांक 07/02/17

प्रतिलिपि :— अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

6.2.17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के अपर सचिव